



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227481
CG-DL-E-10062021-227481

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2044]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943

No. 2044]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2204(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH-752I के कि.मी. 17.45 से कि.मी. 64.669 (हडगाओं) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१९-०३-२०२१" को "लोकमत " और "लोकमत टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH-752I के कि.मी. 17.45 से कि.मी. 64.669 (हडगाओं) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हदगांव				
	गांव का नाम: तामसा				
1	365	निजी	कृषिक	0.1528	मो. रफी मो. इसाक, मो. युसूफ हाजी मो. इसाक, सारिका संजीव पाटिल, संजीव पाटिल. (३६५)
2	367	निजी	कृषिक	0.0112	जयराम महादु यलसटवाड (३६७)
	तालुक का नाम: हिमायतनगर				
	गांव का नाम: धारापुर				
1	18	निजी	कृषिक	0.02	राधाबाई किशन पाळजकर (१८)
2	18	निजी	कृषिक	0.06	कलावती रामराव हाटे (१८)
	गांव का नाम: जवळगाव				
3	39	निजी	कृषिक	0.0473	दशरथ रामराव मिराशे (३९/३)
4	39	निजी	कृषिक	0.0143	गोविन्द विश्वनाथ पांचाळ (३९/२)
5	96	निजी	कृषिक	0.0178	गाणपतराव विश्वनाथ पवार (९६/७)
	गांव का नाम: वटफळी				
6	1	निजी	कृषिक	0.0072	सूर्यकांता अनिल जाधव (१/२)

7	2	निजी	कृषिक	0.085	रमा मानसिंह राठोड (२/२)
8	2	सरकारी(नाला)	अकृषिक	0.0291	कयाधू शाखा नांदेड (नाला) (२/२)
			कुल	0.4447	

[फा. सं. 12037/35/2017-MAH(P-6)/3D]

राजेश गुप्ता , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2204(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-752I on the stretch of land from Km. 17.45 to Km. 64.669 (Nagar Palika Building, 1st Floor Hadgaon) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat” and “Lokmat Times” both dated 19-03-2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-752I in the stretch of land from Km. 17.45 to Km. 64.669 (Nagar Palika Building, 1st Floor Hadgaon) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NANDED		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Hadgaon				
	Village: Tamsa				
1	365	Private	Agriculture	0.1528	Md Rafi Md. Isak, Md. Yusuf Haji Md. Isak , sarika sanjeev patil , sanjeev patil 365
2	367	Private	Agriculture	0.0112	Jayram Mahadu Yalsatwad

					367
	Taluk: Himayatnagar				
	Village: Gharapur				
1	18	Private	Agriculture	0.02	Radhabai Kishan Palajkar 18
2	18	Private	Agriculture	0.06	Kalawati Ramrao Hate 18
	Village: Jawalgaon				
3	39	Private	Agriculture	0.0473	Dashrath Ramrao Mirashe 39/3
4	39	Private	Agriculture	0.0143	Govind Vishwanath Panchal 39/2
5	96	Private	Agriculture	0.0178	Ganpatrao Vishwanath Pawar 96/7
	Village: Watphali				
6	1	Private	Agriculture	0.0072	Suryakanta Anil Jadhav 1/2
7	2	Private	Agriculture	0.085	Rama Mansingh Rathod 2/2
8	2	Government(Canal)	Non Agriculture	0.0291	Kayadhu Shakha Nanded (Canal) 2/2
			TOTAL	0.4447	

[F. No. NH-12037/35/2017-MAH(P-6)/3D]

RAJESH GUPTA, Director